



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Government of India)



चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल

एनएच3, एनआईटी, फरीदाबाद-121001(हरियाणा)

Medical College & Hospital,  
NH 3, NIT, Faridabad-121001 (Haryana)

Phone No-129-2970111 Email.: dean-faridabad@esic.nic.in  
Website : www.esic.nic.in

सं: 134-A-12/16/01/MC/2022-Admin

दिनांक : 06.06.2025

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एनएच-3, एनआईटी, फरीदाबाद में अनुबंध के आधार पर शिक्षण संकाय की भर्ती हेतु परिणाम/ **RESULT FOR RECRUITMENT OF TEACHING FACULTY ON CONTRACTUAL BASIS FOR ESIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, NH3, NIT, FARIDABAD**

दिनांक 02.06.2025 को शिक्षण संकाय के पद पर अनुबंध के आधार पर भर्ती हेतु आयोजित वॉक-इन साक्षात्कार के आधार पर निम्नलिखित उम्मीदवार का चयन किया गया है:

On the basis of walk-in interview held on 02.06.2025, for recruitment to the post of Teaching Faculty on contractual basis, following candidate has been selected :

क्र. सं. Sl. No.	अभ्यर्थी का नाम Name of Candidate	Category Applied	प्राप्तांक (100 में से) Marks Obtained (Out of 100)	विभाग/ Department	पद/Post	टिप्पणी/ Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dr. Pratima Kumari Sahu	UR	74	Biochemistry	Professor	Selected as Professor against UR Category for 01 Year.

**Important Note**

- उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी अनंतिम है तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति / समुदाय, अनुभव, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आदिके मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन है। यह सत्यापन नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority)की संपूर्ण संतुष्टि तक किया जाएगा। The candidature of all the above candidates is provisional subject to verification of their original certificates in support of qualification, age, community / caste, experience as claimed, NOC etc. up to the satisfaction of the Appointing Authority.
- परिणाम तैयार करने में हर संभव सावधानी बरती गई है, लेकिन संबंधित प्राधिकारी को किसी भी प्रकार की त्रुटि/चूक को संशोधित करने या भविष्य में परिणाम रद्द करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। While every care has been taken in preparing thi result, however, the Competent Authority reserved the right to rectify errors / omissions and even cancellation of result at later stage.

3. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। Candidates belonging to reserved Category are required to submit latest certificate in the prescribed Proforma of Govt. of India.

**डीन/ Dean**